प्रेस नोट
दिनांक 30.07.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा बलवा करते हुए मारपीट व आपराधिक धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-557/25, धारा 191(2),115(2),352,351(3),126(2),308(5) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त विनायक सिंह पुत्र अमरेश बहादुर सिंह नि0 निहाल पुरवा मौजा पसका था ाना परसपुर जनपद गोण्डा को कटहाघाट मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

मेसर्स रिलायन्स जिओ इन्फोकम लिमिटेड द्वारा जनपद गोण्डा में विभिन्न स्थानों पर मोबाइल टावर स्थापित कर आम जनमानस को 4जी नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। इन टावरों के रख-रखाव का कार्य कंपनी द्वारा मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा को अनुबंध के तहत सौंपा गया है। मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार नए तकनीशियनों की नियुक्ति की जाती है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आनन्द सिंह नामक व्यक्ति को ऑफर लेटर जारी कर पुलिस सत्यापन हेतु दस्तावेज लिए गए। सत्यापन में उसके विरुद्ध आपराधिक प्रवृत्ति का होना पाया गया, अतः कंपनी द्वारा उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई। इस निर्णय की जानकारी दिए जाने के पश्चात आनन्द सिंह के भाई धर्मेन्द्र सिंह (मो0नं0 7800027999) द्वारा कंपनी के इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर श्री रौशन सिंह पर नियुक्ति हेतु दबाव बनाया जाने लगा। दबाव के विरुद्ध विरोध करने पर धर्मेन्द्र सिंह द्वारा श्री रौशन सिंह को जान से मारने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। इसी क्रम में दिनांक 15.07.2025 को लगभग सायं 5-50 बजे गोपाल टॉवर, लखनऊ रोड, थाना कोतवाली के पास रौशन सिंह पर अरुण सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, विनायक व तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आनन्द सिंह की नियुक्ति हेतु दबाव बनाते हुए गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी व मारपीट की गई। वादी रौशन सिंह की लिखित तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 30.07.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्त विनायक सिंह पुत्र अमरेश बहादुर सिंह नि0 निहाल पुरवा मौजा पसका था ाना परसपुर जनपद गोण्डा को कटहाघाट मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विनायक सिंह पुत्र अमरेश बहादुर सिंह नि0 निहाल पुरवा मौजा पसका था ाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियुक्त-

01. मु0अ0सं0-557/25, धारा 191(2),115(2),352,351(3),126(2),308(5) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 उमाशंकर उपाध्याय।
02. उ0नि0 अविनाश सिंह।
03. का0 प्रभाकर यादव।
04. का0 अमित तोमर।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.07.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-114/25, धारा 419,420,467,468,120बी,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बच्चा लाल पुत्र महादेव, नि0 ग्राम भरिया लवेदपुर, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा को कलन्दरपुर चौबे राजापुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी अरुण कुमार तिवारी निवासी हरैय्या झूमन, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण बच्चालाल, उदय नारायण, सत्यनारायण व राजन निवासी भरियालवेदपुर ने कूटरचित बैनामा (दिनांक 24.08.1994) दिखाकर नहर विभाग से दिनांक 22.03.2005 को अवैध रूप से सरकारी धन प्राप्त किया, जबकि उक्त भूमि सिंगारा देवी पत्नी देवी प्रसाद शुक्ल राही के नाम दर्ज थी। उक्त बैनामा पूर्व में ही 25.08.1994 को खारिज हो चुका था। बाद में विपक्षियों द्वारा फर्जी वसीयत के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही भी की गई जो निरस्त हो गई और असली स्वामित्व सिंगारा देवी के पक्ष में बहाल हुआ। प्रार्थी ने अगस्त 2023 में वैध बैनामा के माध्यम से भूमि खरीदी है। वर्तमान में विपक्षीगण प्रार्थी से जबरन धन मांगते हुए गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वादी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 30.07.2025 को को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त बच्चा लाल पुत्र महादेव, नि0 ग्राम भरिया लवेदपुर, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा को कलन्दरपुर चौबे राजापुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अभियुक्त बच्चा लाल पुत्र महादेव, नि0 ग्राम भरिया लवेदपुर, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-114/25, धारा 419,420,467,468,120बी,504,506 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 नागेश्वर नाथ पटेल।
02. हे0का0 सभाजीत सिंह।
03. का0 राजू कुमार खरवार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.07.2025

थाना को0 मनकापुर पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध साखू की लकड़ी से लदी बोलेरो पिकअप के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर व वन विभाग की संयुक्त टीम की कार्यवाही के दौरान अवैध साखू की लकड़ी से लदी बोलेरों पिकअप वाहन के साथ 02 अभियुक्तों-01. आशीष सिंह पुत्र अद्या बक्श सिंह, निवासी चौबेपुर थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा, 02. उत्तम गिरि पुत्र बजरंग गिरि, निवासी लालापुरवा चौबेपुर थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा को अवैध साखू की लकड़ी से लदी बोलेरों पिकअप वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.07.2025 को थाना को0 मनकापुर, पुलिस द्वारा वन विभाग की टीम के साथ संयुक्त कार्यवाही में चोरी की गई जंगली साखू की लकड़ी से लदी एक बोलेरो पिकअप वाहन को ग्राम चमरौटी के पास पकड़कर दो अभियुक्तों आशीष सिंह पुत्र अद्या बक्श सिंह एवं उत्तम गिरि पुत्र बजरंग गिरि को मौके से गिरफ्तार किया गया। वाहन से कुल 12 नग जंगली साखू की लकड़ी बरामद की गई, जिसे अभियुक्तों ने अन्य चार व्यक्तियों के साथ मिलकर रेहरा बाजार वन रेंज से अवैध रूप से काटकर पानी में छिपाया था तथा सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. आशीष सिंह पुत्र अद्या बक्श सिंह, निवासी चौबेपुर थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. उत्तम गिरि पुत्र बजरंग गिरि, निवासी लालापुरवा चौबेपुर थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-355/25, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस व 26 भारतीय वन अधिनियम 1927 थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 12 नग अवैध साखू की लकड़ी मय पिकअप।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सत्य प्रकाश सिंह, थाना कोतवाली मनकापुर
02. हे0का0 राकेश कन्नौजिया
03. कां0 उमेश यादव
04. कां0 देवेन्द्र सिंह यादव

वन विभाग टीम-

01. गंगाराम, बीट प्रभारी
02. विपिन कुमार, वन रक्षक

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.07.2025

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की बिजली की मोटर बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-353/25, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अमित कुमार प्रजापति को ग्राम फिरोजपुर से वशिष्ठ तिराहे जाने वाली सड़क से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से किर्लोस्कर कम्पनी की बिजली की मोटर बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी शिवराज पाल पुत्र सीताराम पाल, निवासी ग्राम फिरोजपुर, थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 15.07.2025 को उसके खेत पर सिंचाई हेतु लगी किर्लोस्कर कम्पनी की बिजली की मोटर अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई है। वादी की तहरीर पर थाना को0 मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 30.07.2025 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा चोरी करने के वांछित अभियुक्त अमित कुमार प्रजापति को गुरू वशिष्ठ तिराहे के पास से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से किर्लोस्कर कम्पनी की बिजली की मोटर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अमित कुमार प्रजापति पुत्र नेबूलाल उर्फ नंदलाल निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 353/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद किर्लोस्कर कम्पनी की बिजली की मोटर।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 साहेब कुमार।
02. हे0का0 अभय राय।
03. हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा।

मीडिया सेल, गोण्डा।